

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 4 दिसम्बर 2020—अग्रहायण 13, शक 1942

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, पल्लवी वासनीकर आत्मजा श्री शिवलाल वासनीकर, उम्र 37 वर्ष, निवासी-जी-1, ब्लाक दूसरी मंजिल, रूम नंबर-06, नई जमीन माना, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) पिन 492015 की हूँ. यह कि पूर्व में मैं फूलवती वासनीकर के नाम से पहचानी जाती थी तथा यही नाम मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में व समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम पल्लवी वासनीकर रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ.

अतः अब से मुझे पल्लवी वासनीकर आत्मजा श्री शिवलाल वासनीकर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

फूलवती वासनीकर
पिता- श्री शिवलाल वासनीकर
निवासी-जी-1, ब्लाक दूसरी मंजिल,
रूम नंबर-06,
नई जमीन माना, रायपुर,
तह. व जिला- रायपुर (छ. ग.)
पिन 492015

नया नाम

पल्लवी वासनीकर
पिता- श्री शिवलाल वासनीकर
निवासी-जी-1, ब्लाक दूसरी मंजिल,
रूम नंबर-06,
नई जमीन माना, रायपुर,
तह. व जिला- रायपुर (छ. ग.)
पिन 492015

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मुजीब हाशमी आत्मज स्व. एम. ए. कुरैशी, उम्र 48 वर्ष, निवासी-वार्ड नं.-10, डबरीपारा, बैकुण्ठपुर, तहसील बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया (छ. ग.) का हूँ। यह कि मैं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग बैकुण्ठपुर में कार्यरत हूँ। पूर्व में मेरा नाम मुजीबुद्दीन कुरैशी था। जो कि मेरे सर्विस रिकार्ड व अन्य में दर्ज है। मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम मुजीब हाशमी रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे मुजीब हाशमी आत्मज स्व. एम. ए. कुरैशी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

मुजीबुद्दीन कुरैशी
पिता-स्व. एम. ए. कुरैशी
निवासी-वार्ड नं.-10,
डबरीपारा, बैकुण्ठपुर,
तहसील-बैकुण्ठपुर,
जिला-कोरिया (छ. ग.)

नया नाम

मुजीब हाशमी
पिता-स्व. एम. ए. कुरैशी
निवासी-वार्ड नं.-10,
डबरीपारा, बैकुण्ठपुर,
तहसील-बैकुण्ठपुर,
जिला-कोरिया (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मोहन लाल जैन आत्मज स्व. धनराज जैन, उम्र 62 वर्ष, निवासी-सी-95, सेक्टर-1, देवेन्द्र नगर, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरा वास्तविक नाम मोहन लाल जैन है, जो कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, पेनकार्ड, आधार कार्ड व पासपोर्ट में दर्ज है, किन्तु मेरे समस्त शैक्षणिक रिकार्ड्स में मेरा नाम मोहन चौरड़िया दर्ज है मैं अपने नाम को परिवर्तित कर वास्तविक नाम को मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे मोहन लाल जैन आत्मज स्व. धनराज जैन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

मोहन चौरड़िया
पिता-स्व. धनराज जैन
निवासी-सी-95, सेक्टर-1,
देवेन्द्र नगर, रायपुर,
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)

नया नाम

मोहन लाल जैन
पिता-स्व. धनराज जैन
निवासी-सी-95, सेक्टर-1,
देवेन्द्र नगर, रायपुर,
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, Madanalu Sushila Rani ध. प. Shri Madanalu Prakash Rao, उम्र 53 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-7-बी. सड़क नं.-15, सेक्टर-5, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ। यह कि मेरा वास्तविक नाम Madanalu Sushila Rani है जो कि मेरे पेनकार्ड, आधार कार्ड व मेरे समस्त शासकीय अभिलेखों में दर्ज है, किन्तु मेरे पति के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम Susheela Rani दर्ज है जिसकी स्पेलिंग (वर्तनी) त्रुटिपूर्ण है, जिसे परिवर्तित कर, मैं अपने वास्तविक नाम को मेरे पति के सर्विस रिकार्ड व अन्य समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब से मुझे Madanalu Sushila Rani ध. प. Shri Madanalu Prakash Rao के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

Susheela Rani
पति-Shri Madanalu Prakash Rao
निवासी-क्वा. नं.-7-बी.,
सड़क नं.-15,
सेक्टर-5, भिलाई,
तह. व जिला- दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

Madanalu Sushila Rani
पति-Shri Madanalu Prakash Rao
निवासी-क्वा. नं.-7-बी.,
सड़क नं.-15,
सेक्टर-5, भिलाई,
तह. व जिला- दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती मानसी डुलानी ध. प. श्री अनिल डुलानी, उम्र 46 वर्ष, निवासी-न्यू खण्डेलवाल कॉलोनी, ममता नगर, वार्ड नं.-19, राजनांदगांव तहसील व जिला राजनांदगांव (छ. ग.) की हूँ। यह कि पूर्व में मेरा नाम पूनम मूलचंदानी आत्मजा श्री रामचंद मूलचंदानी था तथा मैं इसी नाम से जानी पहचानी जाती थी मेरा विवाह श्री अनिल डुलानी के साथ संपन्न हुआ। विवाह पश्चात् मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती मानसी डुलानी रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब से मुझे श्रीमती मानसी डुलानी ध. प. श्री अनिल डुलानी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

पूनम मूलचंदानी
पिता-श्री रामचंद मूलचंदानी
निवासी-आर. के. डिस्ट्रीब्यूटर,
मेन रोड, बैरागढ़, भोपाल (म. प्र.)

नया नाम

श्रीमती मानसी डुलानी
पति-श्री अनिल डुलानी
निवासी-न्यू खण्डेलवाल कॉलोनी,
ममता नगर, वार्ड नं.-19, राजनांदगांव,
तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कुमारी टी. इन्दु आत्मजा स्व. एल. उमापति, उम्र 18 वर्ष, निवासी-मकान नं.-102/डी, वार्ड नं.-22, बी. एम. वाय. चरोदा, तहसील पाटन, जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ। यह कि पूर्व में मेरा नाम कुमारी टी. इन्दु आत्मजा स्व. टी. वेंकट राव, माता टी. पदमा था, जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है, दिनांक 11-05-2015 को स्व. एल. उमापति श्रीमती एल. बु. लक्ष्मी ने मुझे गोद लिया है पश्चात मेरे माता-पिता का नाम श्रीमती एल. बु. लक्ष्मी, स्व. एल. उमापति हो गया है तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब से मुझे कुमारी टी. इन्दु (Kumari T. Indu) आत्मजा स्व. एल. उमापति (Late L. Umapati) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

कुमारी टी. इन्दु
(Kumari T. Indu)
पिता- स्व. टी. वेंकट राव
(D/o- Late T. Venkat Rao)
माता- टी. पदमा
(Mother- T. Padma)
निवासी-102/डी, वार्ड नं.-22,
बी. एम. वाय. चरोदा,
तहसील-पाटन,
जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

कुमारी टी. इन्दु
(Kumari T. Indu)
पिता- स्व. एल. उमापति
(D/o- Late L. Umapati)
माता- श्रीमती एल. बु. लक्ष्मी
(Mother- Smt. L. Bhu. Laxmi)
निवासी-102/डी, वार्ड नं.-22,
बी. एम. वाय. चरोदा,
तहसील-पाटन,
जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती पुष्पा देवी वर्मा ध. प. श्री ओंकार भूषण वर्मा, उम्र 54 वर्ष, निवासी-हरी कृपा, प्लॉट नं.-65/19, सड़क 21/ए, आशीष नगर, पश्चिम रिसाली, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ। यह कि मेरा वास्तविक नाम पुष्पा देवी वर्मा है, मेरे नाम की भूमि के राजस्व अभिलेख व मेरे बच्चों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम पुष्पा वर्मा दर्ज है जो कि अपूर्ण है। मैं अपने नाम को परिवर्तित कर, वास्तविक नाम को मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में तथा मेरे बच्चों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब से मुझे श्रीमती पुष्पा देवी वर्मा (Smt. Pushpa Devi Verma) ध. प. श्री ओंकार भूषण वर्मा (Shri Onkar Bhushan Verma) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

पुष्पा वर्मा
(Pushpa Verma)
पति- श्री ओंकार भूषण वर्मा
(W/o-Shri Onkar Bhushan Verma)
निवासी-हरी कृपा प्लॉट नं.-65/19,
सड़क 21/ए, आशीष नगर,
पश्चिम रिसाली, भिलाई नगर,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती पुष्पा देवी वर्मा
(Smt. Pushpa Devi Verma)
पति- श्री ओंकार भूषण वर्मा
(W/o-Shri Onkar Bhushan Verma)
निवासी-हरी कृपा प्लॉट नं.-65/19,
सड़क 21/ए, आशीष नगर,
पश्चिम रिसाली, भिलाई नगर,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, पूजा चौधरी ध. प. श्री अरविंद कुमार चौधरी, उम्र 31 वर्ष निवासी-मकान नंबर-177, वार्ड नं.-21, जनता जनरल स्टोर्स के पास, कैम्प-1, बैकुण्ठ नगर, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ। यह कि पूर्व में मेरा नाम पूजा विश्वकर्मा (Pooja Vishwkarma) था जो कि मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में दर्ज है, किन्तु मेरे पिता स्व. ढाल सिंह विश्वकर्मा के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम पूजा विश्वकर्मा (Puja Vishwkarma) दर्ज है। मेरा विवाह दिनांक 09-12-2008 को श्री अरविंद कुमार चौधरी के साथ संपन्न हुआ। पश्चात् मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम पूजा चौधरी रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब से मुझे पूजा चौधरी (Pooja Choudhary) ध. प. श्री अरविंद कुमार चौधरी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

पूजा विश्वकर्मा
(Puja Vishwkarma)
Pooja Vishwkarma
पिता-स्व. ढाल सिंह विश्वकर्मा
निवासी-मकान नंबर-177, वार्ड नं.-21,
जनता जनरल स्टोर्स के पास,
कैम्प-1, बैकुण्ठ नगर, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

पूजा चौधरी
Pooja Choudhary
पति-श्री अरविंद कुमार चौधरी
निवासी-मकान नंबर-177, वार्ड नं.-21,
जनता जनरल स्टोर्स के पास,
कैम्प-1, बैकुण्ठ नगर, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, हेमंत कंवर आत्मज श्री रामाधार, उम्र 21 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-6/सी, सड़क-एवेन्यु-ई, सेक्टर-6, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरे पिता भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हैं, उनके सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम हेमंत कुमार कंवर दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है, जबकि मेरा वास्तविक नाम हेमंत कंवर है जो कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है। मैं मेरे पिता के सर्विस रिकार्ड में मेरे नाम को परिवर्तित कर, वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे हेमंत कंवर (Hemant Kanwar) आत्मज श्री रामाधार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

हेमंत कुमार कंवर
(Hemant Kumar Kanwar)
पिता-श्री रामाधार
निवासी-क्वा. नं.-6/सी,
सड़क-एवेन्यु-ई,
सेक्टर-6, भिलाई नगर,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

हेमंत कंवर
(Hemant Kanwar)
पिता-श्री रामाधार
निवासी-क्वा. नं.-6/सी,
सड़क-एवेन्यु-ई,
सेक्टर-6, भिलाई नगर,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, लालजी साहू आत्मज श्री लोकू राम साहू, उम्र 41 वर्ष, निवासी-मकान नंबर-108, ग्राम-छांटा, देवादा, तहसील पाटन जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम लालजी आत्मज श्री लोकू राम दर्ज है जो कि अपूर्ण है, जबकि मेरे पिताजी का पूर्ण नाम श्री लोकूराम साहू है। मैं अपने नाम के साथ उपनाम “साहू” जोड़कर पूर्ण नाम लालजी साहू आत्मज श्री लोकू राम साहू रख लिया हूँ। मेरा परिवर्तित यह पूर्ण नाम मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे लालजी साहू (Lalji Sahu) आत्मज श्री लोकू राम साहू (Shri Loku Ram Sahu) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

लालजी (Lalji)
पिता-श्री लोकू राम
(S/o-Shri Loku Ram)
निवासी-मकान नंबर-108,
ग्राम-छांटा, देवादा,
तहसील-पाटन,
जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

लालजी साहू
(Lalji Sahu)
पिता-श्री लोकू राम साहू
(S/o-Shri Loku Ram Sahu)
निवासी-मकान नंबर-108,
ग्राम-छांटा, देवादा,
तहसील-पाटन,
जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, गगनदीप कंवर आत्मज श्री रामाधार, उम्र 20 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-6/सी, सड़क-एवेन्यु-ई, सेक्टर-6, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरे पिता भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हैं, उनके सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम गगनदीप दर्ज है। जो कि अपूर्ण है, मैंने अपना नाम परिवर्तित कर उपनाम “कंवर” जोड़कर नया नाम/उपनाम गगनदीप कंवर रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे गगनदीप कंवर (Gagandeep Kanwar) आत्मज श्री रामाधार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

गगनदीप
(Gagandeep)
पिता-श्री रामाधार
निवासी-क्वा. नं.-6/सी,
सड़क-एवेन्यु-ई,
सेक्टर-6, भिलाई नगर,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

गगनदीप कंवर
(Gagandeep Kanwar)
पिता-श्री रामाधार
निवासी-क्वा. नं.-6/सी,
सड़क-एवेन्यु-ई,
सेक्टर-6, भिलाई नगर,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग जिला दुर्ग (छ. ग.)

दुर्ग, दिनांक 23 नवम्बर 2020

प्रारूप

[नियम 5 (1) देखिए]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा लोक न्यास के पंजीयक दुर्ग जिला दुर्ग के समक्ष]

क्रमांक/2697/प्र.2/अ. वि. अ./2020.—यतः कि आवेदक श्री दादी शेटी श्याम कुमार आ. श्री डी. पी. ए. स्वामी निवासी एलआईजी 180 आमदीनगर वार्ड नं. 56 हुडको भिलाई वेस्ट तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) पिन कोड नं. 490009 द्वारा “Media Collective For Child Rights Trust Address-LIG-180 Amdi Nagar HUDCO Bhilai West-Dist. Durg (C.G.)” के छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र नीचे लिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने हेतु दिया गया है, एतद्वारा सूचनापत्र जारी कर अपेक्षा की जाती है कि कथित आवेदन पर मेरे न्यायालय में सुनवाई दिनांक 07-12-2020 को विचार किया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध व्यक्ति कोई व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर मेरे समक्ष स्वयं उपस्थित होकर या अपने अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से यह किसी प्राधिकार पत्र के माध्यम से अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से दो प्रतियों में लिखित अभिकथन प्रस्तुत कर सकते हैं. उपरोक्त अवधि के अवसान के बाद किसी भी प्रकार के आपत्ति/दावा पर कोई विचार संभव नहीं हो सकेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व सम्पत्ति का विवरण)

- | | | | |
|----|------------------------|----|--|
| 1. | लोक न्यास का नाम व पता | :- | “Media Collective For Child Rights Trust Address-LIG-180 Amdi Nagar HUDCO Bhilai West-Dist. Durg (C.G.)” |
| 2. | चल संपत्ति | :- | 11,000.00
(अक्षरी-ग्यारह हजार रु. नगद) |
| 3. | अचल संपत्ति | :- | निरंक |

खेमलाल वर्मा

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं
पंजीयक

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक लोक न्यास उदयपुर जिला सरगुजा छ. ग.

सरगुजा 5 नवम्बर, 2020

प्रारूप-चार

[नियम 5 (1) देखें]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5 (2) (1951 का 30) और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5(1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक अनुविभाग उदयपुर, जिला सरगुजा के समक्ष

क्रमांक/1260/मु. लि./2020.—जबकि कोल साय शान्दिल्य, निवासी ग्राम रामनगर, तहसील उदयपुर ने छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अंतर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए एक आवेदन लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए किया है, एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन 2020 के दिसम्बर माह के दिनांक 23 पर मेरे द्वारा विचारण में लिया जाएगा.

अतः मैं प्रदीप कुमार साहू अनुविभाग उदयपुर, जिला सरगुजा के लोक न्यासों का रजिस्ट्रार अपने न्यायालय में दिनांक 07-12-2020 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा अपेक्षित जाँच करने की प्रस्थापना करता हूँ.

किसी आपत्ति (या सुझाव) करने का आशय रखते हुए उक्त न्यास या सम्पत्ति के मामले में हित रखने वाले किसी भी व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिगत अथवा वकील द्वारा या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

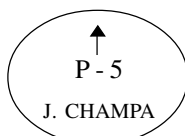
(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम व पता :- ग्राम-उद्यमी न्यास, ग्राम-परसा, पोस्ट ऑफिस-डॉडगॉव,
पिन-497116, विकासखण्ड उदयपुर,
तहसील-उदयपुर, जिला सरगुजा, राज्य-छत्तीसगढ़
3. चल संपत्ति :- 10,000.00 रु. (दस हजार रुपये)
2. अचल संपत्ति :- निरंक

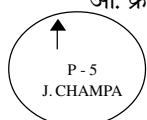
प्रदीप कुमार साहू
अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं
पंजीयक

अन्य सूचनाएं

वनमण्डलाधिकारी, जांजगीर-चाम्पा वनमण्डल, चाम्पा (छ. ग.)

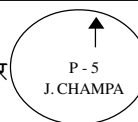


चाम्पा 14 अक्टूबर, 2020



आ. क्र. /स्था./175.—वन परिक्षेत्र अधिकारी सक्ती ने अपने पत्र प. क्र./728 दिनांक 22-09-2020 द्वारा सूचित किया है कि पासिंग हेमर बैलाचुंवा जिसे वनरक्षक श्री जगदीश प्रसाद कुर्रे को प्रदाय किया गया था, जिसे उनके द्वारा गुमा दिया गया है. हेमर की खोज के समस्त प्रयास असफल रहे हैं.

अतः वन वित्तीय नियम 124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए गुमशुदा पासिंग हेमर



को अभिलेख से

अपलेखित किया जाता है. पासिंग हेमर की कीमत स्टोर स्टॉक रजिस्टर अनुसार 750/- श्री जगदीश प्रसाद कुर्रे, वनरक्षक से वसूली का आदेश दिया जाता है तथा शासकीय कार्य में लापरवाही के लिये उन्हें चरित्रावली चेतावनी दी जाती है एवं भविष्य के लिये सचेत किया जाता है.

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त हेमर मिले तो हेमर को निकटतम थाना अथवा वनमंडल कार्यालय में जमा करावें. इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति हेमर को अनाधिकृत रूप से रखने या प्रयोग में लाते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

(प्रेमलता यादव)

भा. व. से.

वनमण्डलाधिकारी.